

संपादकीय

त्‍यौंहारों में लूट का टिकट जब घर लौटना सज़ा बन जाए

दीपावली

का त्योहार नजदीक है और हर साल की तरह इस बार भी आम आदमी के सामने वही पुराना सवाल है कि घर कैसे पहुंचे। भोपाल से ग्वालियर और जबलपुर जाने वाली बसों में दो से तीन गुना किराया वसूला जा रहा है। इंदौर से मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद तथा भोपाल से इंदौर के लिए हवाई किराया भी दो से तीन गुना तक बढ़ गया है। भोपाल से मुंबई जाने वाली एसी स्लीपर बस का किराया दो से पांच नवंबर के बीच 8,500 से 15,000 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, मुंबई से भोपाल के लिए छह नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 21,999 रुपये तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यह करीब 7,527 रुपये रहता है। यह लूट नहीं तो और क्या है? जब आम आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी उसे कई गुना किराया देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। परिवहन विभाग कहता है कि किराया सूची लगा दी गई है। उड्डयन मंत्रालय कहता है कि त्योहारों के दौरान हवाई किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। आरटीओ अधिकारी कहते हैं कि अधिक किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सामान्य दिनों में यह करीब 7,527 आदेश तो बहुत जारी होते हैं, लेकिन जिम्मेदार कंपनियों और बस संचालकों पर कड़ो कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकारी दावों के विपरीत हकीकत यह है कि यात्री परेशान हैं और जिम्मेदार तंत्र मूकदर्शक बना हुआ है।

हवाई किराये में बढ़ोतरी के कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर आने-जाने वाले यात्रियों का बजट बिगड़ रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों से आने वाली उड़ानों में भी यही स्थिति है। त्योहार पर घर लौटने को तैयारी कर रहे यात्रियों के सामने महंगे सफर के साथ कन्फर्म सीट का संकट भी खड़ा है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण यात्रियों के पास सीमित विकल्प बचते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठया जाता है। बसों में एसी स्लीपर की सीटें भर रही हैं और किराया लगातार बढ़ रहा है। भोपाल से इंदौर का किराया भी दोगुना होने की शिकायतें हैं। सरकार ने बसों के किराये की दरें निर्धारित की हैं, लेकिन कागज पर बनी व्यवस्था जमीन पर प्रभावी दिखाई नहीं देती। बस संचालक जानते हैं कि त्योहार पर यात्रियों को घर जाना ही है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूला जाता है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण यात्री बसों और हवाई जहाजों की ओर रुख करते हैं। जब सरकार को पता है कि दीपावली पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तो अतिरिक्त ट्रेनें और बसें चलाने की तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती? हवाई कंपनियों के किराये की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?

परिवहन विभाग और उड्डयन मंत्रालय को केवल आदेश जारी करने के बजाय नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मनमाना किराया वसूलने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। त्योहार खुशी का अवसर है, लेकिन जब घर पहुंचने के लिए ही हजारों रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ें, तो खुशी बोझ बन जाती है। सरकार को साबित करना होगा कि आम आदमी के हित केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर वास्तव में कार्रवाई होती है।

आउकल

पटरी के नीचे भविष्य इंजीनियरिंग की नई परिभाषा

देश के रेलवे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्टेशन के नीचे से दूसरी ट्रेन चलेगी और वह भी बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद में हो रहा यह निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक छलांग है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने साबित किया है कि भारत अब केवल रेलवे लाइन बिछाने वाला देश नहीं, बल्कि रेलवे तकनीक गढ़ने वाला देश भी बन रहा है। अब रेलवे का मतलब जमीन पर पटरी बिछाना ही नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर और नीचे, दोनों जगह भविष्य बुनना है।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैयार हुआ यह मॉडल अपने आप में अनूठा है। नीचे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का स्टेशन और उसके ठीक ऊपर भारतीय रेलवे की ब्रांडेज लाइनें होंगी। स्टेशन पर नई ब्रांडेज लाइन संख्या 16, 17 और 18 तथा 10, 11 और 12 का निर्माण पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश के अनुसार, बुलेट नए स्टेशन के नीचे भारतीय रेलवे की ट्रेनों के परिचालन के लिए नए प्लेटफॉर्म और ब्रांडेज लाइनों का निर्माण रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को केवल सीमेंट और लोहे के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। यह सोच में बदलाव का प्रतीक है। शहरों में जाहद की कमी के बीच एक ही जमीन पर दो स्तरों पर रेल संचालन शहरी नियोजन की नई राह दिखाता है। इससे बिना शहर को तोड़े विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं।

सुरक्षा इस परियोजना का अहम पहलू है। नीचे बुलेट ट्रेन के संचालन से ऊपर चलने वाली ट्रेनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। पश्चिम सर्किल, मुंबई के संरक्षा निरीक्षण के बाद इस उपलब्धि ने तकनीकी और सुरक्षा मानकों के महत्व को रेखांकित किया है।

अहमदाबाद का यह प्रयोग मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों के लिए भी रास्ता खोल सकता है, जहां रेलवे स्टेशनों के विस्तार के लिए जमीन सीमित है। यह मस्ट्रीलेवल परिवहन व्यवस्था, समय की बचत और बेहतर यात्री सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि बताती है कि भारतीय इंजीनियरिंग नई चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्षम है। अहमदाबाद की यह छलांग केवल एक शहर की नहीं, बल्कि देश के आधुनिक रेल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सोल, दक्षिण कोरिया से आई एक खबर लाखों लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जो रेटिना की मरम्मत में बाधा डालता है। इस प्रोटीन के प्रभाव को रोककर आंखों की रोशनी वापस लाने की संभावना सामने आई है। यह खोज कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की है। यह केवल एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो रेटिना खराब होने के कारण धीरे-धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। आंख को केमरा समझ लीजिए। रेटिना उसका सेंसर है। जैसे कैमरे के सेंसर पर तस्वीर बनती है, वैसे ही हमारी आंख के पीछे स्थित रेटिना पर दुनिया की तस्वीर बनती है। अगर सेंसर खराब हो जाए, तो केमरा कितना भी महंगा हो, तस्वीर नहीं आएगी। उम्र बढ़ने या डायबिटीज जैसी बीमारियों के कारण रेटिना की कोशिकाएं और रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। रोशनी को पहचानने वाली कोशिकाएं मरने लगती हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इनका दोबारा बनना बेहद कठिन होता है। इसी प्रक्रिया को रेटिनल डिजनरेशन कहा जाता है, जो दृष्टि हानि के प्रमुख कारणों में से एक है। अब तक ऐसी क्षति के बाद दृष्टि वापस लाना चिकित्सा विज्ञान के लिए बेधुी चुनौती रहा है। कोरियाई वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जीन थेरेपी विकसित की है, जो क्षतिग्रस्त रेटिना की कोशिकाओं को दोबारा विकसित करने और आंखों की रोशनी लौटाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उन्होंने पाया कि आंख में प्रोक्स-1 नामक प्रोटीन की भूमिका

मध्य प्रदेश

के नगरीय विकास विभाग ने एक ऐसी योजना बनाई है, जो सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन आजने वाले समय में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। इसका नाम है ट्रीटेड वाटर पॉलिसी, यानी नाली के गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग के लिए बेचने की नीति।

अभी तक हर शहर में घरों से निकला गंदा पानी नालियों के जरिए नदियों या तालाबों में चला जाता था। इससे जलस्रोत प्रदूषित होते थे और पानी बर्बाद होता था। अब सरकार ने तय किया है कि हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग लायक बनाया जाएगा।

भोपाल नगर निगम ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। भोपाल के बाणगंगा और भानपुरा जैसे इलाकों में बड़े एसटीपी लगाए जा रहे हैं और अब इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। जल्द ही इसे एक बड़े सम्मेलन में जारी किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करें।

नाली के पानी को साफ करके उसका उपयोग कैसे होगा? सरकार ने इसके लिए चार प्रमुख क्षेत्र तय किए हैं। पहला, निर्माण कार्य। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में हर दिन बड़ी मात्रा में पानी निर्माण कार्यों में लगता है। अब बिल्डरों को ट्रीटेड वाटर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भूजल बचे और पेयजल पर दबाव कम हो। दूसरा, उद्योग। पीथमपुर और मंडीदोप जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को पानी की जरूरत होती है। ट्रीटेड वाटर टैंकरों के जरिए उद्योगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी और पेयजल की बचत होगी। तीसरा, खेती

शिक्षा के नाम पर मौत के कमरे बंद करो बरसाती दुकानों पर अब ताला जरूरी

हर गली, हर मोहल्ले में आज कोचिंग के बोर्ड टंगे हैं। बरसात में घास उगती है, वैसे ही हर साल ये कोचिंग सेंटर उग आते हैं। दो कमरे, एक ब्लैक बोर्ड, एक झुटा टॉपर का पोस्टर और बन गया भविष्य बनाने का कारखाना। गांव का भोला छात्र शहर आता है, आंखों में सपना लेकर कि वह अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। पर उसे क्या पता कि वह शिक्षा के मंदिर में नहीं, लूट की दुकान में जा रहा है, जहां उसकी जेब से लाखों रुपये निकालकर उसे एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया जाएगा।

सरकार ने अब नियम बनाया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन यह नियम बहुत ढेर से आया है। जब तक कई जानें जा चुकी हैं और कई भविष्य जल चुके हैं। अब इस नियम को केवल कागज पर नहीं, जमीन पर उतारना होगा, नहीं तो यह भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। दस बाई दस का कमरा या जेल की कोठरी, जाकर देखिए इन कोचिंग सेंटरों की हकीकत। एक छोटे से कमरे में चालीस से पचास बच्चों को रूस दिया जाता है। बैठने की जगह नहीं, सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा नहीं। एक छोटा-सा दरवाजा और वही खिड़की, वही निकास। सोचिए, अगर आग लग जाए तो क्या होगा? दिल्ली में क्या हुआ था? बेसमेंट में पानी भरा और बच्चे मर गए। अगर लगी तो बच्चे जल गए, लेकिन कोचिंग संचालकों की जवाबदेही का सवाल आज भी गंभीर है।

छात्र कोई जानवर नहीं है, वह इंसान है। उसे भी जीने और सुरक्षा का अधिकार है। इसलिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पानी, शौचालय, आपातकालीन निकास और सीसीटीवी अनिवार्य होने चाहिए। यह कोई अहसान नहीं, उसका अधिकार है। सरकार कह रही है कि हमसे लगेगे और अग्निय सुरक्षा के इंतजाम होंगे, लेकिन जांच कौन करेगा? हर तीन महीने में औचक निरीक्षण होना चाहिए और जो कोचिंग निर्धारित मानकों को पूरा न करे, उसे तुरंत सील कर देना चाहिए।

इनका सबसे बड़ा नाटक फीस लेते समय होता है। छात्र को कुर्सी पर बैठाया जाता है, चाय पिलाई जाती है और कहा जाता है, बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें टॉप कराएंगे। माला-पिता को फोन लगाया जाता है और भरोसा दिलाया जाता है। जैसे ही फीस जमा होती है, वही छात्र बोझ बन जाता है। फिर न कोई बात, न काउंसलिंग, न फोन। अगर छात्र अवसाद में चला जाए, तो पूछने वाला कोई नहीं। कई छात्रों ने तो जान तक दे दी, लेकिन इन कोचिंग संचालकों की जवाबदेही का सवाल बना हुआ है। इसलिए मानसिक परामर्श अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन काउंसलर की योग्यता और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दिखावे के लिए एक कमरा बनाकर उस पर काउंसलिंग सेंटर लिख देने से कुछ नहीं होगा।

नईदुनिया

नाली का पानी अब नोट छापेगा

मध्य प्रदेश की नई ट्रीटेड वाटर पॉलिसी

और हरियाली। शहरों के पार्कों, उद्यानों, डिवाइडरों और पौधों की सिंचाई में इसका उपयोग किया जा सकेगा। चौथा, भूजल पुनर्भरण। उचित गुणवत्ता मानकों और आवश्यक उपचार के बाद ट्रीटेड वाटर का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। यानी एक ही पानी

का दोबारा उपयोग करके संसाधनों की बचत और आय अर्जित करने की संभावना है। इस नीति की प्रेरणा सागर शहर से मिली है, जहां एसटीपी से साफ किए गए पानी को उद्योगों और रेलवे को बेचा जा रहा है। रेलवे अपने कोचों की धुलाई में इस पानी का उपयोग कर रही है। इससे रेलवे को पानी मिल रहा है और नगर निगम को आय हो रही है।

सागर की सफलता के बाद विभाग ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के साथ छोटे नगरीय निकायों में भी एसटीपी लगाने की तैयारी है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाने की योजना है। निजी निवेशक एसटीपी लगाएंगे, पानी साफ करेंगे



बदलना जरूरी है, क्योंकि कई लोग ट्रीटेड वाटर को अब भी गंदा मानते हैं। सरकार को गुणवत्ता मानकों और नियमित जांच के आधार पर इसका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना होगा। पेयजल और अन्य उपयोगों के लिए अलग-अलग गुणवत्ता मानक निर्धारित होने चाहिए। दूसरी चुनौती पाइपलाइन और टैंकर्स की व्यवस्था है। अलग पाइपलाइन बिछाने में खर्च आएगा और टैंकर्स से आपूर्ति महंगी पड़ सकती है। तीसरी चुनौती रखरखाव की है। प्रदेश में पहले से लगे कई एसटीपी बंद पड़े हैं। यदि नए संयंत्रों के संचालन और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, तो नीति कागजों तक सिमट जाएगी। इसके अलावा, ट्रीटेड वाटर की आपूर्ति में टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार की अशंका को

भेदक : जब दो आंखें एक साथ देखें

कभी-कभी

कानून से नहीं, छोटी क्लास से शुरू होता है। भोपाल में जो हुआ है, वह इसी बदलाव की कहानी है। पहली बार आयकर विभाग ने अपने दरवाजे जीएसटी इम्पेक्टरों के लिए खोले हैं। पैसेट अफसर एक साथ बैठे हैं, किताबें खुली हैं और विषय है टैक्स चोरी को कैसे पकड़ा जाए। यह केवल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सोच को एक साथ लाने का प्रयोग है। अभी तक एक व्यापारी की फाइल दो जगह दो तरह से देखी जाती थी। आयकर वाले उसे आय के चश्मे से देखते थे और जीएसटी वाले कारोबार के चश्मे से। अब दोनों चश्मे एक साथ पहने जा रहे हैं। इससे तस्वीर साफ दिखेगी और धुंध खत्म होगी।

हर विभाग की अपनी दीवार होती है, अपनी भाषा होती है। आयकर विभाग दशकों से सर्च और सर्वे का माहिर माना जाता है। उसके पास छिपी हुई आय पकड़ने का लंबा अनुभव है। जीएसटी विभाग नया है, लेकिन वह रोज मैदान में रहता है। दुकान, गोदाम और फैक्ट्री उसकी रोज की दुनिया है। एक के पास गहराई है, दूसरे के पास फैलाव। पर दोनों के बीच कभी पुल नहीं बना था। व्यापारी इसी अंतर का फायदा उठाता था। वह जीएसटी में टर्नओवर कम दिखाता था और आयकर में खर्चें ज्यादा दिखाता था या इसका उलटा करता था। दोनों विभागों के सिस्टम आपस में बात नहीं करते थे, इसलिए छोटी गड़बड़ी बड़ी चोरी बन जाती थी। इस ट्रेनिंग ने उसी दीवार में पहला दरवाजा लगाया है।

इस ट्रेनिंग का आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्ससेस में किया गया है। यहां आधुनिक तकनीक, एआई, केस स्टडी और फर्जी बिलों की पहचान सिखाई गई है। अफसरों को बताया गया है कि टैक्स चोर अब कागज पर ही चोरी नहीं करता, बल्कि डिजिटल परतों में भी चोरी छिपाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी, टैन वैरिफिकेशन में गड़बड़ी और खरीद-बिक्री के दस्तावेजों में छोट्टा-सा अंतर बढ़े घोटाले की शुरुआत हो सकता है। ट्रेनिंग में सर्च और सर्वे के तौर-तरीके भी सिखाए गए हैं। इसके लिए दोनों विभागों के बीच एक समझौता भी हुआ है, ताकि कभी भी यह सिलसिला चलता रहे। पहले चरण में जीएसटी अफसर आयकर की बारीकियां सीखेंगे और अगले चरण में आयकर अफसर जीएसटी और कस्टम की कार्यप्रणाली समझेंगे। जब दो एजेंसियां साथ काम करती हैं, तो भरोसा बनता है। अभी तक व्यापारी को लगता था कि वह एक विभाग को संभाल लेगा, तो बच जाएगा। लेकिन अब एक विभाग की पकड़ी गई छोटी-सी गलती दूसरे विभाग को बड़े खुलासे का रास्ता दिखा सकती है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे दो आंखों से देखने पर गहराई का पता चलता है। एक आंख से केवल तस्वीर दिखती है, दो आंखों से

रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी। मध्य प्रदेश में पानी की समस्या लगातार गंभीर हो रही है। भूजल स्तर नीचे जा रहा है और जलस्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में पानी का दोबारा उपयोग बड़ी बचत साबित हो सकता है। इससे नगर निगमों को आय के नए स्रोत मिलेंगे और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को होगा। जब गंदा पानी बिना उपचार के नदियों में नहीं जाएगा, तो प्रदूषण कम होगा और जलस्रोतों को बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने नीति बनाने की पहल की है, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। बंद पड़े एसटीपी को चालू करना, नए संयंत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उद्योगों को प्रोत्साहित करना और लोगों को जागरूक करना जरूरी है। हर एसटीपी पर ऑनलाइन मीटर लगाए जाने चाहिए, ताकि आने वाले पानी, उपचारित पानी और उसकी गुणवत्ता का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो सके। उद्योगों और निर्माण क्षेत्र में ट्रीटेड वाटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट नियम और प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

मध्य प्रदेश की यह नीति केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत है। यदि इसे ईमानदारी, आधुनिक तकनीक और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया गया, तो प्रदेश पानी के संरक्षण और पुनः उपयोग के क्षेत्र में मिसाल बन सकता है। नाली का पानी अगर आय का स्रोत बन जाए और साथ ही पेयजल की बचत करे, तो इससे बेहतर क्या होगा? इसके लिए जरूरी है कि नीति के साथ उसके क्रियान्वयन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



उसकी दूरी भी समझ आती है। अब टैक्स की दुनिया में भी वही गहराई आएगी। ईमानदार कारोबारों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि बेईमान कारोबारी टैक्स चोरी करके सस्ता माल बेचता है और उसका बाजार खराब करता है।

इस पूरी कवायद के पीछे एक बड़ी सोच है, डाटा को एक साथ लाना। आयकर विभाग के पास पेन से जुड़ा डाटा है और जीएसटी के पास कारोबार के बिलों का डाटा। अगर दोनों का प्रभावी इस्तेमाल हो, तो किसी भी कारोबारी की आर्थिक गतिविधियों की बेहतर तस्वीर सामने आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी अच्छा काम करेगा, जब उसके पास पर्याप्त और विश्वसनीय डाटा होगा। इससे सरकार का राजस्व बढ़ाने और जांच को तेज करने में मदद मिल सकती है।

इस बदलाव का असली फायदा आम आदमी को मिलेगा। जब टैक्स चोरी रूकेगी, तो सरकार के पास विकास के लिए अधिक संसाधन होंगे। सड़कें, स्कूल और अस्पताल भी इसी राजस्व से बनते हैं। ईमानदार व्यापारी को भी लगेगा कि उसकी ईमानदारी की कद हो रही है। हालांकि, दोनों विभागों की कार्यशैली, कानून और जांच की प्रक्रियाएं अलग हैं। डाटा साझा करने में तकनीकी चुनौतियां भी आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अफसर वास्तव में अपना अनुभव साझा करें और यह पहल केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए।

शुरुआत पैसेट अफसरों से हुई है, लेकिन यह मॉडल पूरे देश में फैल सकता है। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी संयुक्त ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है। जीएसटी कानून से आया वन नेशन, वन टैक्स का विचार तभी मजबूत होगा, जब उसकी निगरानी के लिए साझा समझ और समन्वित प्रयास भी हों। यह पहल छोटे-से क्लासरूम से शुरू हुई है, लेकिन इसका अमर देश के खजाने और आम आदमी के भरोसे पर बड़ा पड़ सकता है। जब दो विभाग एक मंज पर बैठकर एक ही दिशा में काम करेंगे, तो कर व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी को मजबूती मिलेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

लक्ष्य वर्ष 2028 तक मानव क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना बताया गया है। यदि परीक्षण सफल रहते हैं, तो भविष्य में इस उपचार के उपलब्ध होने की संभावना बन सकती है। हालाँकि, इसकी समयसीमा और प्रभावशीलता का निर्धारण आगे के शोध पर निर्भर करेगा। भारत के लिए इस खोज का महत्व विशेष है। देश में दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। आनुवंशिक रेटिना रोगों से प्रभावित बच्चों और डायबिटीज के कारण रेटिना की समस्या झेल रहे मरीजों के लिए बेहतर उपचार की आवश्यकता बनी हुई है। यदि रेटिना की कोशिकाओं को दोबारा विकसित करने वाली यह थेरेपी इंसानों में सफल होती है, तो यह चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। जरूरत इस बात की भी है कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसे शोध में भागीदारी बढ़ाएं और कम लागत वाली जीन थेरेपी विकसित करने की दिशा में काम करें, क्योंकि आधुनिक जीन थेरेपी उपचार अमौतौर पर महंगे होते हैं और हर मरीज को पहुंच में नहीं होते। वैज्ञानिकों ने रेटिना की मरम्मत में बाधा डालने वाले प्रोटीन की भूमिका को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके पीछे एक बड़ा विचार है कि मानव शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता के कई रास्ते मौजूद हैं, जिन्हें विज्ञान की मदद से सक्रिय किया जा सकता है। प्रोक्स-1 के प्रभाव को रोकने से जुड़ा यह शोध उसी संभावना की ओर संकेत करता है। भविष्य में यदि यह उपचार इंसानों में सफल होता है, तो अंधेपन से जूझ रहे लाखों लोगों के जीवन में सचमुच उजाला लौटाने की उम्मीद मजबूत होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

आंखों की रोशनी लौटाने वाला प्रोटीन, विज्ञान की सबसे बड़ी उम्मीद अंधेपन के खिलाफ जीन थेरेपी ने खोला नया दरवाजा

रास्ता खुल सकता है। वैज्ञानिकों ने इस नई थेरेपी का परीक्षण चुहों पर किया और उत्साहजनक परिणाम देखे। जिन चुहों की दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी थी, उनमें उपचार के बाद दृष्टि संबंधी क्षमताओं में सुधार देखा गया। कुछ ही समय में उनके व्यवहार में बदलाव आया और वे रोशनी की ओर जाने लगे तथा अंधेरे में रास्ता खोजने लगे। उपचार का असर कई महीनों तक बना रहा।

यह संकेत देता है कि यह तरीका केवल लक्षणों को निर्यात करने के बजाय क्षतिग्रस्त रेटिना की पुनर्निर्माण क्षमता को सक्रिय कर सकता है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध में प्रोक्स-1 प्रोटीन की भूमिका और स्तनधारियों के रेटिना में नए न्यूरोन्स के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। म्यूलर ग्लिया आंख की ऐसी कोशिकाएं हैं, जिनमें कुछ परिस्थितियों में दूसरी प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। प्रोक्स-1 के प्रभाव को रोककर वैज्ञानिक इस क्षमता को सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक क्षतिग्रस्त रेटिना में नए न्यूरोन्स बनाना चिकित्सा विज्ञान की बड़ी चुनौती रहा है। इस खोज से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और उम्र संबंधी मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भविष्य में लाभ मिल

सकता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे दृष्टि कम होने लगती है। उम्र संबंधी मैक्यूलर डिजनरेशन में आंख का मध्य हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे पढ़ने, लिखने और चेहरे पहचानने में कठिनाई होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में डायबिटीज के कारण रेटिना की रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इन बीमारियों में उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन हर स्थिति में खोई हुई दृष्टि वापस लाना संभव नहीं है। हालांकि, यहां जट्टदाबाजी से बचना जरूरी है।

चुहों पर सफल परीक्षण का अर्थ यह नहीं है कि अगले दिन से इंसानों का इलाज शुरू हो जाएगा। इस थेरेपी को सुरक्षा परीक्षणों और क्लिनिकल ट्रायल के कई चरणों से गुजरना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आंख में उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वायरस सुरक्षित है और उससे कोई अन्य नुकसान नहीं होता। इस क्षेत्र में प्रोफेसर जिन-चू किम की प्रयोगशाला से जुड़ी बायोटेक कंपनी सेलियायज इंक ने प्रोक्स-1 को लक्षित करने वाली सीएलजेड-001 नामक एंटीबॉडी विकसित करने की दिशा में काम किया है। इस तरह की तकनीक का उद्देश्य प्रोटीन के प्रभाव को रोकना है, ताकि रेटिना की कोशिकाओं की पुनर्निर्माण क्षमता को सक्रिय किया जा सके। कंपनी का